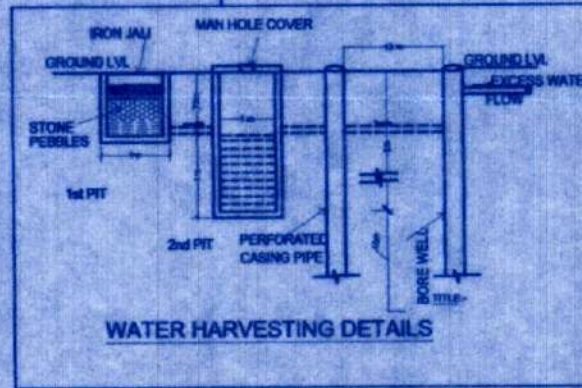


AREA STATEMENT								H.T.O. LET
FLOOR	BLOCK	CUT OUT	G.B.A.	LIFT	STAIR	BAR	CLUB AREA	
STILL FLOOR	711.77	0.00	711.77	0.00	0.00	0.00	4.27	
UPPER STILL FLOOR	711.77	291.10	320.67	0.00	0.00	0.00	186.15	
1st FLOOR	890.48	57.11	833.37	9.66	16.36	807.35		
2nd FLOOR	890.48	57.11	833.37	9.66	16.36	807.35		
3rd FLOOR	890.48	57.11	833.37	9.66	16.36	807.35		
4th FLOOR	890.48	57.11	833.37	9.66	16.36	807.35		
5th FLOOR	890.48	57.11	833.37	9.66	16.36	807.35		
6th FLOOR	890.48	57.11	833.37		16.36	817.01		
TER FLOOR		0.00	0.00					
TOTAL	6766.43		6032.67	48.30		5044.19		

TOTAL REQ. PARK.		48,25	
CAR	75%	36	
SCOOTER	25%	12	

PROVIDED PARKING				
	STILT	OPEN	PUZZLE	TOTAL
CARS	5	51	15	71
SCOOTER	42	0	0	42



PROPOSED FLAT AT KHINDI, TILAWALA, TEH. SANGANER, JAIPUR.

V J ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS
VJ SQUARE-B-123/124, BEHIND KOC PETROL PUMP
SAHAR MARG JAIPUR
TEL (0141) 2740007, 2740006/9, TELEFAX (0141) 2740059

9

Consulting Architect
VIKAS JAIN
-Arch. (Hons.), M.A. (Urban Design)
CA/2000/26739

OWNER /

Lucy's

भारत में निवास ईकाइ/पलेट्स
इमारतों एवं व्यवसायिक/आवासीय
आग लगते ही अलार्म एवं
आगामन केन्द्र पर संभावित स्थिति
हो पूर्व सूचना भेजने वाले अग्नि सूचक
यंत्रों को लगवाया जाना आवश्यक है।

5000 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक / संस्थागत भूखण्डों में नीके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत गाँविक की प्रति आम जनता के अवलोकनाध्य प्रमुख प्रकाश के स्वीकृत उक्त प्रकाश के प्रदर्शनों के स्वीकृत भवन मान्यता भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

हम मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्ररूप
भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही
किसी के स्वामित्व संबंधित अधिकार
प्रमाणित होंगे। अनुमोदित किये गये
मानचित्रों में दर्शिये गये भवन निर्माण की सं.
(structure) का दायित्व संरचनात्मक
मानचित्रों के अनुरूप प्राप्ती का होना।

मॉडल राजस्थान (नगरांचे क्षेत्र) भवन विभाग
2020 के वित्तियम में वर्णित निर्देशों के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों हेतु
विशेष प्रयत्नों की पूर्ण प्रतिपत्ति के
जारी अनिवार्य होंगी अन्यथा भवन विभाग के
विकास वृद्धावस्था कार्यवाही की जावेगी।

Ar. VIKAS JAIN
10-Kha-2, Jyoti Nagar
Sahkar Marg, Jaipur
CA/2008/26735
CTP Reg./Architect/2021/05

Chirp
Consulting Architect
VIKAS JAIN
Arch. (Hons.), M.A. (Urban Design)
CA/2000/26739

Lucy's

8.90

PROPOSED BUILDING

12.10

58.46

ROAD 18.0M. WIDE

37.90

अनुमोदित

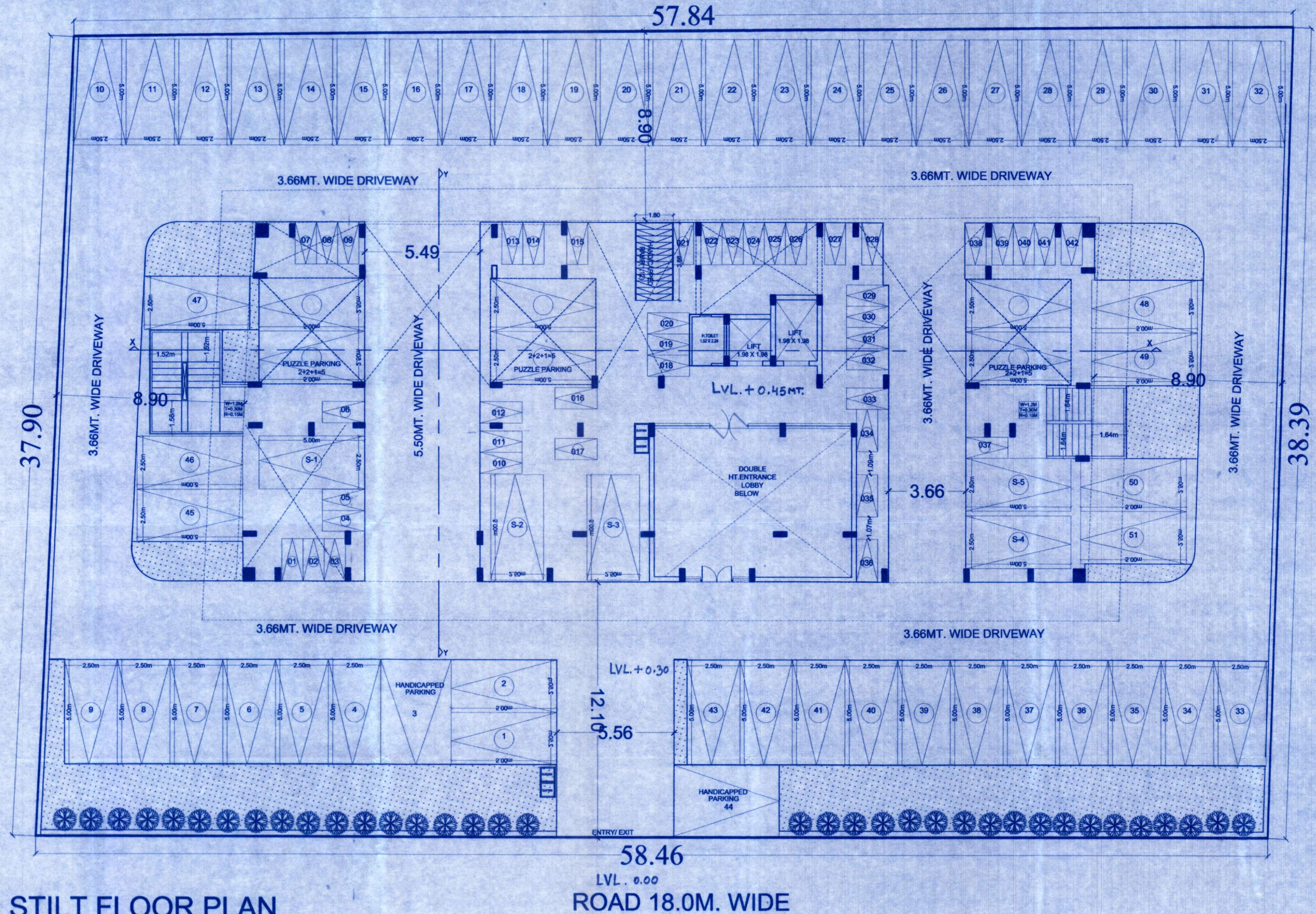
अनुमोदित यह निवासी इकाई / फ्लैट्स / भवन
 1. इनका निर्माण एवं व्यवसायिक / सार्वजनिक
 2. अथवा अन्य किसी भी अर्थ के लिए
 3. अथवा अन्य किसी भी अर्थ के लिए
 4. अथवा अन्य किसी भी अर्थ के लिए
 5. अथवा अन्य किसी भी अर्थ के लिए

500 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक / सार्वजनिक
 भूखण्डों में नोके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा
 स्थापित मानचित्र की प्रति आम जनता के
 अवलोकनार्थ 'prominently display' की जायेगी
 उक्त प्रकार के प्रकरणों के स्वीकृत
 भवन मानचित्र मान निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक
 समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की
 तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित किया
 जाना अनिवार्य होगा।

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत
 भूमि / भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का
 प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही
 इससे किसी के स्वामित्व संबंधित अधिकार ही
 प्रमाणित होंगे। अनुमोदित किये गये
 मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण को संरचना
 (structure) का वास्तविक संरचनात्मक
 मानचित्रों के अनुषंग प्रमाणित होना।

नॉकल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम,
 2020 के विनियम में वर्णित निर्देशों के
 अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु
 विशेष प्रयोजनों की सुविधिता की
 जानी अनिवार्य होगी अथवा भवन निर्माता के
 विलम्ब पर ध्यान देने की जायेगी।

Dr. VIKAS JAIN
 10-Kha-2, Jyoti Nagar
 Sakher Marg, Jaipur
 CA/2000/26735
 GTP Reg. JArchitect/2021/06



STILT FLOOR PLAN

58.46
 LVL. 0.00
 ROAD 18.0M. WIDE

अनुमोदित

वह निवास इकाई/फ्लैट्स/घुमें
इमारती एवं व्यवसायिक/संस्थागत
आग लगे ही अलार्म एवं साथ ही
सामान केन्द्र पर संभावित स्थान की
ध्वज, जो पूर्व सूचना भेजने वाले अग्निसूचक
यंत्रों को जगजाग जाना आवश्यक है।

500 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक/संस्थागत
भूखण्डों में मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा
स्वीकृत मानचित्र की प्रति आम जनता के
अवलोकनार्थ prominently display की जायेगी।
उक्त प्रकार के प्रकरणों के स्वीकृत
भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक
समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की
स्थिति से एक सप्ताह में प्रकाशित किया
जाना अनिवार्य होगा।

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्राथमिक
भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही
यसमें किसी के स्वामित्व संबंधित अधिकार ही
प्रकटित होंगे। अनुमोदित किये गये
मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(structure) का दृष्टिकोण संरचनात्मक
मानचित्रों के अनुरूप प्रामाणिक होना।

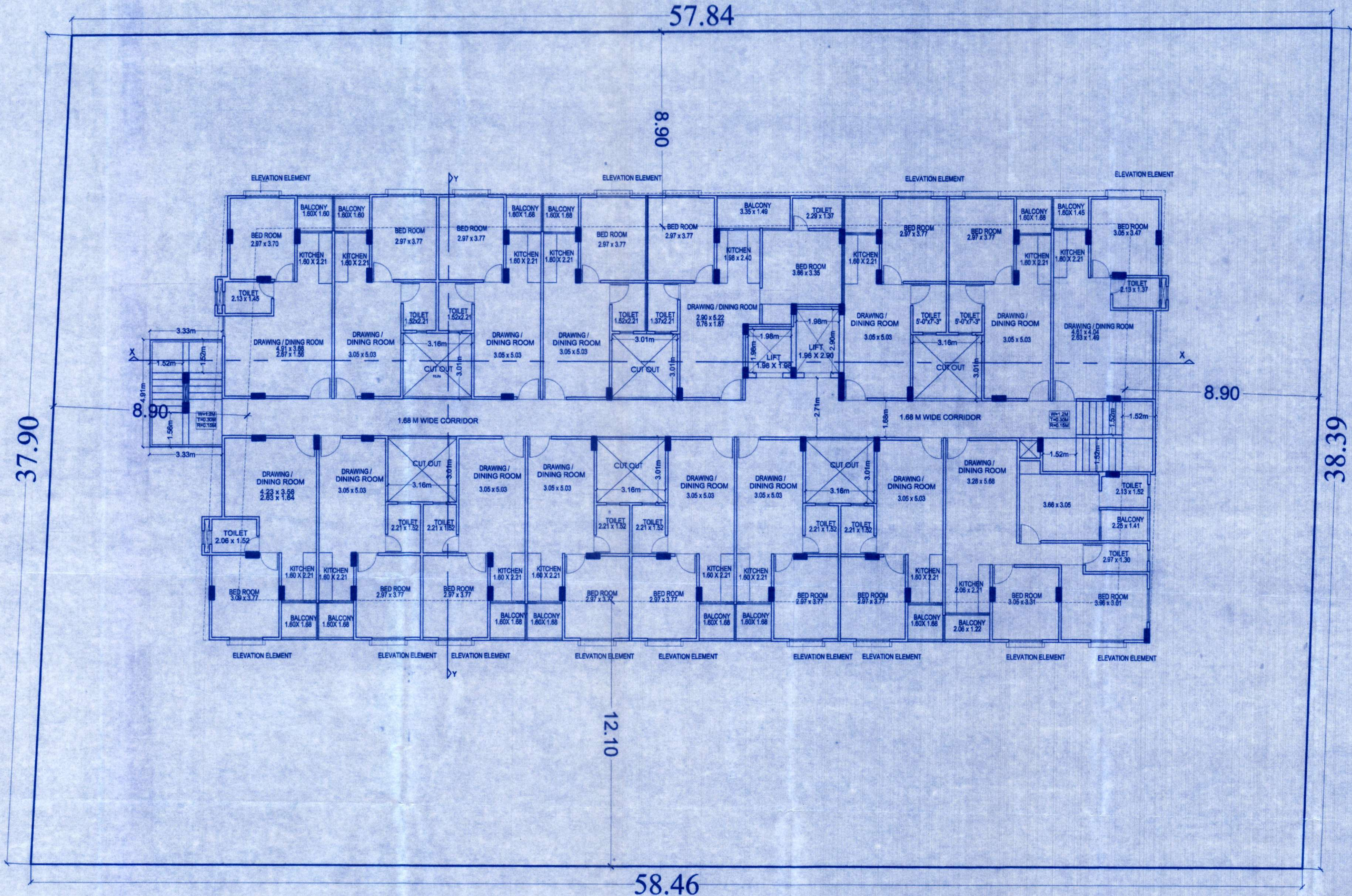
भोकरा राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विधिवत
2020 के विनियम में वर्णित विनियमों के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
विशेष प्रावधानों की सुनिश्चितता की
जानी अनिवार्य होगी अन्यथा भवन निर्माण का
विशेषांक कानूनकार कानूनकारी की अवधि।

Ar. VIKAS JAIN
10-Kha-2, Jyoti Nagar
Sahkar Marg, Jaipur
CA/2000/26735
CTP Reg./Architect/2021/05

TYPICAL FLOOR PLAN

SCALE: 1=100 DATE: 31-03-2021

PROJECT: NORTH

PROPOSED FLAT AT TELANGA
KHA-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPURARCHITECTS:
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS/PROFESSIONAL INTERIOR DESIGNERS
10 KHA-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR
BARBAR MARG, JAIPUR
TEL: (0141) 270007, 270008, 270009, 270010, 270011, 270012ARCHITECTS:
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS/PROFESSIONAL INTERIOR DESIGNERS
10 KHA-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR
BARBAR MARG, JAIPUR
TEL: (0141) 270007, 270008, 270009, 270010, 270011, 270012ARCHITECTS:
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS/PROFESSIONAL INTERIOR DESIGNERS
10 KHA-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR
BARBAR MARG, JAIPUR
TEL: (0141) 270007, 270008, 270009, 270010, 270011, 270012ARCHITECTS:
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS/PROFESSIONAL INTERIOR DESIGNERS
10 KHA-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR
BARBAR MARG, JAIPUR
TEL: (0141) 270007, 270008, 270009, 270010, 270011, 270012ARCHITECTS:
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS/PROFESSIONAL INTERIOR DESIGNERS
10 KHA-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR
BARBAR MARG, JAIPUR
TEL: (0141) 270007, 270008, 270009, 270010, 270011, 270012ARCHITECTS:
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS/PROFESSIONAL INTERIOR DESIGNERS
10 KHA-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR
BARBAR MARG, JAIPUR
TEL: (0141) 270007, 270008, 270009, 270010, 270011, 270012ARCHITECTS:
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS/PROFESSIONAL INTERIOR DESIGNERS
10 KHA-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR
BARBAR MARG, JAIPUR
TEL: (0141) 270007, 270008, 270009, 270010, 270011, 270012ARCHITECTS:
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS/PROFESSIONAL INTERIOR DESIGNERS
10 KHA-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR
BARBAR MARG, JAIPUR
TEL: (0141) 270007, 270008, 270009, 270010, 270011, 270012

अनुमोदित

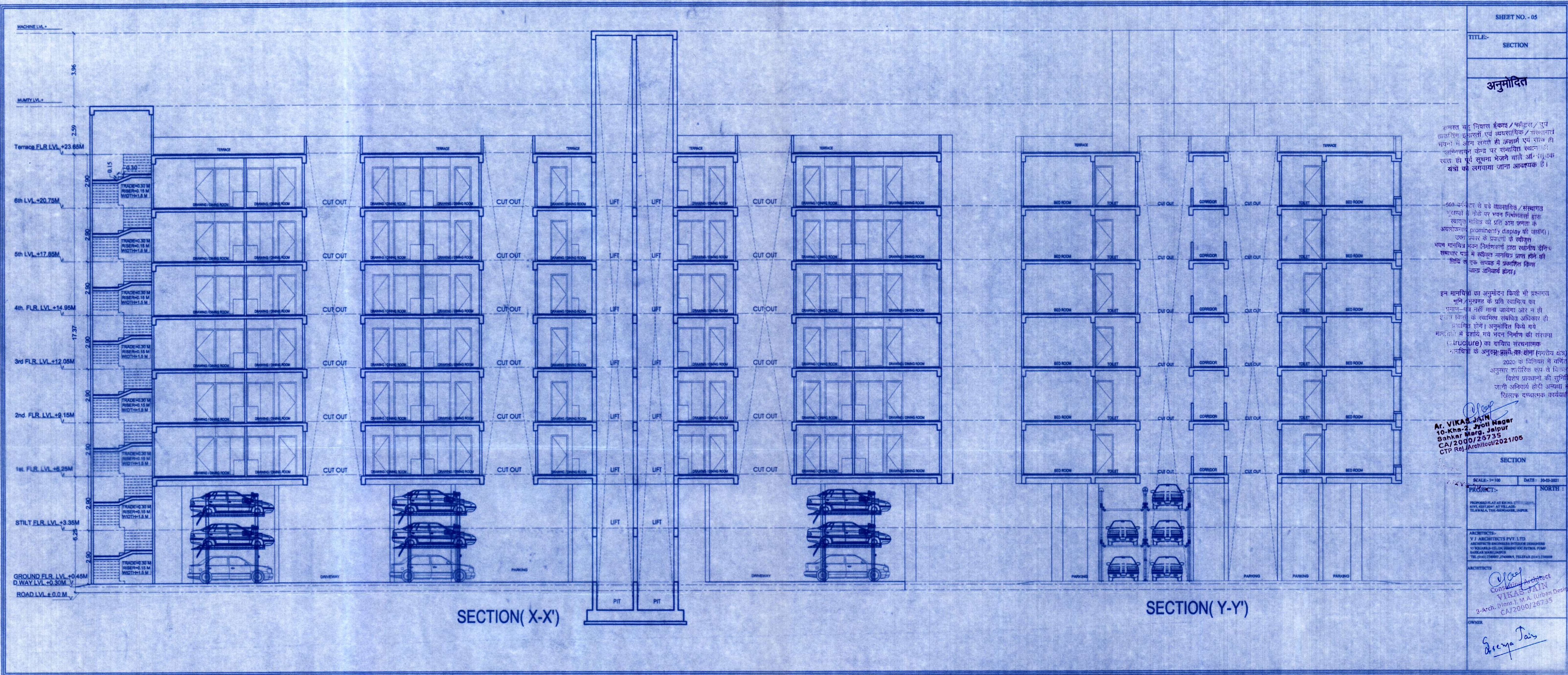
मॉडल बहु निवास ईकाई / प्लेट्स / ग्रुप
इमारतों एवं व्यवसायिक / संस्थागत
आग लगते ही अलार्म एवं साथ ही
सामान केन्द्र पर स्थापित स्थान की
व्यवस्था ही पूर्व सूचना भेजने वाले अग्निप्रसूतक
घंटों को लगाया जाना आवश्यक है।

500 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक / संस्थागत
भूखण्डों में नोके धर भवन निर्माणकर्ता द्वारा
स्वास्थ्य नास्त्र की प्रति आम जनता के
अवलोकनार्थ prominently display की जायेगी।
उक्त प्रकार के प्रदर्शनों के स्वीकृत
भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय स्थिति
से स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की
शर्त पर प्रत्येक संस्था में प्रदर्शित किन्हीं
सूचना अनिवार्य होगी।

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रभुत्व
भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का
गमन-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही
इससे किसी के स्वामित्व संबंधित अधिकार ही
प्रमाणित होंगे। अनुमोदित किन्हीं भवन
मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(structure) का दायित्व संरचनात्मक
अनुमोदक के अनुसार होगा।

मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम
2020 के विनियम में वर्णित निर्देशों के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु
विशेष प्रावधानों की सुनिश्चितता की
जानी अनिवार्य होगी अन्यथा भवन निर्माण के
खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Dr. Vikas
10-Kha-2, Jyoti Nagar
Sankar Marg, Jalpur
CA/2000/26735
CTP Reg./Architect/2021/05



SHEET NO. - 05

TITLE- SECTION

अनुमोदित

इसका वह निवास ईकाइयों/फ्लैट्स/गुप्त
आवासों/इकाइयों एवं व्यवसायिक/संस्थागत
भवनों में आग लगने की खतरा एवं ताप की
खतरा को ध्यान में रखकर रचना की
गयी है। इस पूर्व सूचना भेजने वाले और इसके
यहों को लगवाया जाना आवश्यक है।

600 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक/संस्थागत
भवन/मकानों में गोदों पर भवन निर्माणकों द्वारा
स्वास्थ्य मापदंडों को प्रति आग रक्षा के
अवरोधक प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
उपरोक्त प्रकार के प्रदर्शनों के स्वीकृत
भवन मानचित्र भवन निर्माणकों द्वारा स्थानीय वैश्विक
संस्थाओं में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की
शर्त पर एक सप्ताह में प्रकाशित किया
जाएगा अनिवार्य होगा।

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी सरकार
भूमि/मुख्य के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही
इसका किसी के स्वामित्व संबंधित अधिकार हो
प्राप्ति होगी। अनुमोदित किये गये
मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(structure) का वास्तविक संरचनात्मक
मानचित्रों के अनुसार प्रदर्शित किया होगा। भवन निर्माण

2020 के विनियम में उचित निर्देशों के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु
विशेष प्रावधानों की सुनिश्चितता की
जानी अनिवार्य होगी अन्यथा भवन निर्माण के
खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Ar. VIKAS JAIN
10-Kha-2, Jyoti Nagar
Bakkar Marg, Jaipur
CA/2000/26735
CIP Ref./Architect/2021/05

SECTION

SCALE: 1/40 DATE: 20-03-2021

PROJECT: NORTH :

PROPOSED PLAT AT ECHO
10-Kha-2, Jyoti Nagar
Bakkar Marg, Jaipur

ARCHITECTS:-
V J ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS
10-Kha-2, Jyoti Nagar
Bakkar Marg, Jaipur
TEL: (0141) 274007, 274008, 274009, 274010, 274011, 274012

ARCHITECTS
V J ARCHITECTS PVT. LTD.
CONSULTING ARCHITECT
VIKAS JAIN
B-Arch. (Plans), M.A. (Urban Design)
CA/2000/26735

OWNER

Green Park

अनुमोदित

समस्त बड़े विकास ईकाई/क्लेटर/ग्रुप
होस्टिंग इमारतों एवं व्यवसायिक/संस्थागत
भवन आग लगते हैं अक्सर इस साथ ही
अ-प्रशसन केन्द्र एवं संरक्षित स्थान की
स्वत ही एवं सुचना भेजने वाले अतिरिक्त
यन्त्रों की लगवना जाना आवश्यक है।

500 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक/संस्थागत
भूखण्ड में मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा
स्वाकृत मानचित्र की प्रति आग जनता के
अवलोकनार्थ prominently display की जायेगी।
जस्त प्रकार के प्रकरणों के स्वीकृत
भवन मानचित्र जवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक
समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की
तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित किया
जाना अनिवार्य होगा।

मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रसंगगत
भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वाभिव्यक्ति का
प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही
किसी के स्वाभिव्यक्ति अधिकार ही
प्रमाणित होंगे। अनुमोदित किये गये
चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(structure) का दायित्व संरचनात्मक
मानचित्रों के अनुरूप प्राप्ति का होगा।

सर्वेक्षण (समय से) भवन विनियम
1920 के विनियम में वर्णित विवेकों के
अनुसार स्वीकृत रूप से विकसित व्यक्तियों हेतु
विशेष आवश्यकताओं की सुनिश्चिता की
सभी स्वीकृति/अनुमति भवन निर्माण के
विकास व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप।

Dr. Vikas Jais
10-Khe-2, Jyoti Nagar
Sahkar Marg, Jaipur
CA/2000/26735
GTP Reg./Architect/2021/05

UPPER STILT FLOOR PLAN
TERRACE FLOOR PLAN

SCALE:- 1/100 DATE:- 11-03-2021
PROJECT:-
PROPOSED PLAT AT BUNGALOW
EAST, 10-KHE-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR.



ARCHITECTS:-
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS
VYOMKESH-2021-2022, BUNGALOW EAST, 10-KHE-2, JYOTI NAGAR, SAHAKAR MARG, JAIPUR.
TEL: (0141) 276807, 276808, TELEFAX: (0141) 276809

ARCHITECTS
Dr. Vikas Jais
Consulting Architect
V.J. ARCHITECTS
B-Arch. (Hons.), M.A. (Urban Design)
CA/2000/26735

OWNER
Dr. Vikas Jais

REAR ELEVATION

समस्त बहु निवास इकाइ/फ्लैट्स/ग्रुप हाउसिंग इमारतों एवं व्यावसायिक/संस्थानिक भवनों में आग लगते ही अलार्म एवं स्मॉक अलार्मिंग सिस्टमों पर संभावित स्थानों की अतिरिक्त सूचना भेजने वाले ऑनलाइन कनेक्शन के माध्यम से आग लगने की सूचना भेजने वाले आवश्यक हैं।

500 वॉमीटर्स से रहे व्यवसायिक / सरप्रायस प्रेजेंटों में मौके पर भवन निमाणकर्ता द्वारा स्वागत मानचित्र की प्रति आम जनता को उपलब्ध कराया गया।

अलोकनार्थ **prominently display** की जायेगी।

उक्त प्रकार से प्रकरण के स्वीकृत मानचित्र भवन निमाणकर्ता द्वारा रसायन वैज्ञानिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में वर्णित निर्देशों को अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष प्रावधानों की सुनिश्चिता की जायेगी अतः निर्माण हेतु अन्यथा भवन निर्माता के निर्माण दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।

Ar. VIKAS JAIN
10-Kha-2, Jyoti Nagar
Sahkar Marg, Jalpur
CA/2000/26735
CTP Reg./Architect/2021/05

UPPER STILT FLOOR PLAN
TERRACE FLOOR PLAN

SCALE: 1=100	DATE: 31-03-2021
--------------	------------------

PROJECT:-
PROPOSED FLAT AT KILMOI, HADAPSAR,
619/1, 623/1, 624/1 AT VILLAGE-
TILAWALA, TAL-SANGANEER, JALNAR.

ARCHITECTS:
V J ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS
VJ SQUARE-123,DA, BEHIND IDC MITROL PUMP
SAHIBAB MARGULAPUR
TEL:8141) 2740887 2740888, TEL/FAX 8141) 274089

ARCHITECTS *Yves*
Consulting Architect
VERIS LAIN
B-Arch. (Hons.), M.A. (Urban Design)
CA/2000/26735

OWNER

Geography